प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.07.2025

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 20.05.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी श्री अजमद खान निवासी आदर्श कालोनी मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा-303(2) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 27.07.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त सागर कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम छज्जुपुर सुल्तान नगर थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को चौकी गंगनहर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी की गई 03 मोटरसाइकिल व अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि जो मोटरसाइकिलें मुझसे बरामद हुई हैं इनमें से 01 मोटरसाइकिल मुरादनगर व 01 आरडीसी कविनगर व 01 मोटरसाइकिल नन्दग्राम से चोरी की थी तथा लोगों को डराने के लिए अवैध चाकू अपने पास रखा था। मैं इन चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सागर कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम छज्जुपुर सुल्तान नगर थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की 03 मोटरसाइकिल व 01 अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी/बरामदगी के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत, थाना कविनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत, थाना नन्दग्राम पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत, थाना कोतवाली पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत, थाना मोदीनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल अभियोग-07, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-.

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.07.2025 को वादी द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर दी गई कि दिनांक 24.07.2025 को उसकी बहन के पति व ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित कर उसकी बहन की जहर देकर हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 80/85/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में वांछित अभियुक्तों की तलाश/गिरफ्तारी हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 27.07.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त (1) प्रदीप शर्मा पुत्र राकेश शर्मा (2) राकेश कुमार पुत्र स्व0 लेशचन्द्र निवासी गण गली नं0 3 म0नं0 2 बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को तिगरी गोल चक्कर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त प्रदीप शर्मा द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी मृतका से वर्ष 2020 में शादी हुई थी। मैं एक सिविल इन्जीनियर हूं, लडकी के परिजनों द्वारा मेरी शादी में कम दान दहेज दिया था तथा मुझे दहेज में गाड़ी भी नही मिली थी, जिसके लिए मैं और मेरे परिजन लडकी को तंग व परेशान करते थे। जिस कारण मृतका ने जहर खा लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

(1) प्रदीप शर्मा पुत्र राकेश शर्मा (मृतका का पति)
(2) राकेश कुमार पुत्र स्व0 लेशचन्द्र निवासी गण गली नं0 3 म0नं0 2 बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद (मृतका का ससुर)

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर दहेज हत्या से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 65(2)/351(3) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 27.07.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रामनारायण प्रसाद पुत्र दर्शन प्रसाद निवासी मखुआ थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर हाल पता सिखेडा रोड गोदापुरी अम्बेडकरनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान घटना कारित करने का इकबाल किया गया है। अभियुक्त ने बताया कि हमारा एक-दूसरे के घर पर आना जाना था, मौका पाकर मेरे द्वारा गलत काम किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रामनारायण प्रसाद पुत्र दर्शन प्रसाद निवासी मखुआ थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर हाल पता सिखेडा रोड गोदापुरी अम्बेडकरनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा विधुत चेकिंग करने वाली टीम पर कुत्ते से हमला कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.07.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई जिसमें वादी ने बताया कि संयोजन धारक युसुफ सैफी संयोजन संख्या 9658457024 के मकान पर बकाये बिल जमा एवं विद्युत चेकिंग हेतु पहुँचे तो मकान पर मौजूद राशिद पुत्र मोहम्मद उमर (मकान मालिक जावेद के चाचा) निवासी मोहल्ला तेलियान मुरादनगर गाजियाबाद ने गेट खोला जिसे अपना परिचय देते हुये कारण बताकर विधुत चैकिंग हेतु परिसर में जाने को कहा गया तो राशिद विरोध करने लगा व कार्यसरकार में बाधा उत्पन्न करने लगा एव अपना पालतू कुत्ता जर्मन शैफर्ड को खोलकर विद्युत चेकिंग टीम पर छोड़ दिया जिसे हमने बार बार रोकने व पकड़ने को कहा तो अपने कुत्ते को न ही रोका न ही पकडा, राशिद के पालतू कुत्ते जर्मन सैफर्ड ने कांस्टेबल अमर सिंह को गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा बचाव में वर्दी फट गयी तथा मोबाइल भी पूर्ण रुप से क्षतिग्रस्त हो गया अभियुक्त को मौके पर ही हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि विद्युत चेकिंग से बचने के लिए हमनें अपना पालतू कुत्ता जर्मन शैफर्ड को पहले से ही खोलकर रखा था जिससे मुझ लगा कि कुत्ता देखकर यह लोग डर जायेगे पर चेकिंग के दौरान मेरे सामने ही उन पुलिस वालो पर मेरे कुत्ते ने हमला कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त राशिद पुत्र मोहम्मद उमर नि0 मोहल्ला तेलियान मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 44 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार तथा थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अनैतिक देह व्यापार का संचालन करने वाले 03 अभियुक्तगण व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार तथा 03 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया।

दिनांक 26.07.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार व थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र अंकुर विहार में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का फर्दाफाश करते हुए छापामारी के दौरान अनैतिक देह व्यापार का संचालन कर रहे पति-पत्नी सहित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा 03 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। उक्त कार्यवाही के आधार पर थाना अंकुर विहार पर धारा-3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग रुपयों व नौकरी का लालच देकर महिलाओं को जबरदस्ती देह व्यापार के लिए यहाँ लाते है तथा ग्राहको से भारी धनराशि लेकर देह व्यापार में सम्मिलित महिलाओं को भरण पोषण हेतु कुछ रुपये दे देते है। बाकी पैसे हम लोग अपने पास रख लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. तुषार मित्तल पुत्र स्व0 सत्यप्रकाश मित्तल निवासी सी 1/60 डीएलएफ थाना अंकुर विहार गा0बाद उम्र करीब 46 वर्ष
2. कृष्णा पुत्र शीशराम दुबे निवासी हाल पता एफ 48 जीएफ 3 एसएलएफ वेद विहार थाना अंकुर विहार गा0बाद स्थायी पता कस्बा अमृतपुर थाना अमृतपुर फर्रुखाबाद उम्र करीब 23 वर्ष
3. अमर पुत्र सन्तोष सिंह रावत निवासी म0न0 486 गली न0 10 काली मन्दिर रोड थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष
4. अभियुक्ता

बरामदगी का विवरण-

01 डायरी, 01 क्यूआर कोड स्केनर, 01 मोबाइल फोन वीवो कम्पनी, आपत्तिजनक वस्तुएं, 2000/- रुपये नकद , 01 आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम –

सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार व थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 08.07.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि वादिया के पति गौरव त्यागी पुत्र सुरेश त्यागी जो कि वी 3 एस मॉल लक्ष्मी नगर दिल्ली में ड्यूटी करते थे। दिनांक 02.07.2025 की रात्रि में वादिया के पति गौरव त्यागी की ड्यूटी से लौटने के दौरान अपने साथी देवेन्द्र राणा से फोन पर बातचीत हुई। उस समय उन्होने अपने दोस्त देवेन्द्र को बताया कि कुछ लोगों का मेरे साथ झगड़ा हो गया है। कुछ समय बाद वादिया के पति ने रात्रि को पुनः फोन करके देवेन्द्र को बताया कि एक वाहन सं यू0पी014 एफडब्लू 2530 व एक ब्रेजा कार यूपी, बीवाई 0080 तुम जल्दी से इन गाडियों का नम्बर नोट कर लो तथा मेरे पति ने देवेन्द्र को उन गाड़ियों के नम्बर नोट कराये। उसके बाद प्रार्थिनी के पति काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो प्रार्थिनी ने अपने पति को फोन किया लेकिन उनका फोन नहीं मिला तथा ना उनके बारे में कही कोई जानकारी मिल सकी फिर उसी रात समय रात्रि में प्रार्थिनी को सूचना मिली कि उनकी डेड बॉडी अर्थला पार्श्वनाथ सोसाईटी के पास पड़ी मिली है तथा प्रार्थिनी को जिला एमएमजी अस्पताल में बुलाया गया तथा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 27.07.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्या के अभियोग में वाँछित चल रहे 02 अभियुक्त 1. शुभान खान पुत्र मो0 मतलूब निवासी म0न0 796 जीडीए फ्लैट संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष, 2. फैसल उर्फ काजल पुत्र नसरुद्दीन निवासी मनिहार वाली गली मदीना मस्जिद अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत नागद्वार चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण शुभान खान व फैसल उर्फ काजल के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 09.07.2025 को 01 अभियुक्त आदिल चौधरी पुत्र रिजवान चौधरी निवासी जीडीए फ्लैट्स A-306 संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को अर्थला चौकी क्षेत्र मोहननगर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त शुभान खान व फैसल उर्फ काजल से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 02.07.2025 को अभियुक्त शुभान खान व फैसल उर्फ काजल अपने साथी आदिल के साथ पाश्वनार्थ सोसइटी के सामने खड़े हुए थे। वही पर कुछ ट्रांसजेन्डर भी मौजूद थे। अभियुक्त शुभान खान व फैसल उर्फ काजल तीनों अभियुक्तकतों की किसी बात को लेकर आपस में गाली गलौच व झगड़ा कर रहे थे। तभी (मृतक) गौरव त्यागी अपनी मोटर साइकिल से वहाँ पर आया और अभियुक्तों शुभान खान, फैसल उर्फ काजल व आदिल को आपस में गाली गलौच व झगड़ा कर रहे थे उन्हे रोका तो नही माने तो मृतक गौरव त्यागी नें अपने मोबाइल फोन से अभियुक्तों की एवं गाड़ियों की फोटो खींचकर पुलिस को सूचना देने की कहने लगा इसी बात से क्षुब्ध होकर आदिल ने मोटर साइकिल पर रखे हेलमेट से गौरव त्यागी के सिर पर वार कर दिया। जिससे सिर में चोट आने से वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद अभियुक्त आदिल, शुभान खान व फैसल उर्फ काजल वहाँ से भाग गये। बाद में पता चला कि उस गौरव त्यागी की मृत्यु हो गयी है। दिनांक 09.07.2025 को अभियुक्त आदिल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शुभान खान पुत्र मो0 मतलूब निवासी म0न0 796 जीडीए फ्लैट संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

2. फैसल उर्फ काजल पुत्र नसरुद्दीन निवासी मनिहार वाली गली मदीना मस्जिद अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त शुभान खान व फैसल उर्फ काजल के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।